अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती खुशबु गोदवानी पत्नी श्री प्रदीप कुमार गोदवानी
2. प्रदीप कुमार गोदवानी पुत्र श्री पवन कुमार गोदवानी

निवासी प्लाट नम्बर 54, गणपति नगर, नांगल जैसा बोहरा, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती हेमा गोदवानी पत्नी श्री प्रदीप कुमार गोदवानी
2. पवन कुमार गोदवानी पुत्र स्व॰ श्री व्यापारमल गोदवानी

निवासी प्लाट नम्बर 54, गणपति नगर, नांगल जैसा बोहरा, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण
गैर अपीलार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.01.2024 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 85/2023 ब–उनवानी श्रीमती हेमा गोदवानी बनाम प्रदीप कुमार गोदवानी व अन्य

मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज॰)

उपस्थित :–

1. अपीलार्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय — दिनांक 11.03.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 85/2023 ब–उनवानी श्रीमती हेमा गोदवानी बनाम प्रदीप कुमार गोदवानी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.01.2024 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एसबी सिविल रिट पीटशन नम्बर 2326/2024 आदेश दिनांक 14.02.2024 की पालना में अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थीगण मय प्रतिनिधि के उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि गैर अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ व पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थीगण ने गैर अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया हो। गैर अपीलार्थीगण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ कानून का दुरूपयोग कर अपीलार्थीगण को अपने घर से बेदखल कर उन्हें और उनकी छोटी बच्चियों को प्रताड़ित करने का है जिससे गैर अपीलार्थीगण की नियत पर गम्भीर सवाल उठते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त ओम प्रकाश सैनी बनाम श्रीमती मनभर देवी डीबी सिविल रेफरेन्स नम्बर 3/2020 व माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त कृष्ण कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी रिट–सी–नम्बर 35884/2019 में यह स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के अनुसार अधिकरण के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित करने की शक्तियां तो है, किन्तु अधिकरण इन शक्तियों का उपयोग तब ही करेगा जब पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यों व परिस्थितियों से ये स्पष्ट हो कि प्रार्थीगण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रार्थीगण के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचे (Eviction is the last resort) गैर अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी स्वीकार किया है कि गैर अपीलार्थीगण अपना स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम है और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के अनुसार यह स्पष्ट है कि केवल माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अधिकरण के समक्ष भरण पोषण की मांग का आवेदन कर सकते है जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में अक्षम हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि गैर अपीलार्थीगण का उद्देश्य सिर्फ कानून का दुरूपयोग कर अपीलार्थीगण को अपने घर से बेदखल कर उन्हें और उनकी छोटी बच्चियों को प्रताड़ित करने का है। गैर अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में खुद स्वीकार किया है कि अपीलार्थी संख्या 2 खुद अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ है इसके बावजूद भी गैर अपीलार्थीगण अपने बडे बेटा जो पंजाब नेशनल बैंक में एक अधिकारी है और गैर अपीलार्थीगण का भरण पोषण करने में सक्षम है के बजाय अपीलार्थीगण जो खुद अपना पेट पालने के लिए भी अक्षम है से भरण पोषण की मांग कर उन्हे घर से बेदखल करवाना चाहते है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गैर अपीलार्थीगण का उद्देश्य सिर्फ कानून का दुरूपयोग कर अपने बेडे बेटे के साथ षडयंत्र रच कर अपीलार्थीगण को अपने घर से बेदखल कर उन्हें व उनकी छोटी बच्चियों को प्रताड़ित करने का है। गैर अपीलार्थीगण (माता–पिता) के बड़े बेटे हेमन्त की नोकरी लगने के बाद से ही वो अपने माता पिता से अलग रह रहा है। इस तथ्य पर गौर किया जाना आवश्यक है कि हेमन्त जो कि गैर अपीलार्थीगण का बड़ा बेटा है नौकरी जयपुर शहर में होने के बावजूद भी वह 10–12 साल से अपने माता पिता से अलग क्यों रह रहा है। इस तथ्य की अधीनस्थ अधिकरण ने कोई तफ्तीश नहीं की। गैर अपीलार्थीगण के द्वारा दायर किए गए प्रार्थना पत्र के पूर्ण अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि गैर अपीलार्थीगण का इस प्रार्थना पत्र को दायर करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपीलार्थी संख्या 1 (अपनी बहू) और उसकी बेटियों को अपने धर से बेघर करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त एस विनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर बेंगलूरू अरबन डिस्ट्रिक सिविल अपील नम्बर 3822/2022 में यह स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का उपयोग किसी महिला को उसके मेट्रीमोनियल होम (सांझा आवास) से बेदखल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। गैर अपीलार्थीगण व अपीलार्थीगण के पारिवारिक झगड़े का

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य कारण यह है कि अपीलार्थी संख्या 1 तलाकशुदा महिला है जिसकी पहले से ही एक पुत्री है व अपीलार्थीगण की शादी के पश्चात भी अपीलार्थी संख्या 1 ने पुत्री को ही जन्म दिया है जिससे नाराज होकर गैर अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को निरन्तर प्रताड़ित करती आ रही है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी संख्या 1 ने कई बार गैर अपीलार्थीगण के क्रूरता पूर्वक व्यवहार के विरूद्व पुलिस मे शिकायतें भी की है। गैर अपीलार्थीगण का इस प्रार्थना पत्र को दायर करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य अपीलार्थी संख्या 2 पर दबाव बनाने का है जिससे अपीलार्थी संख्या 1 अपनी पति अपीलार्थी संख्या 2 को अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर तलाक दे देवें। हालांकि अधिकरण ने इस तथ्यों पर बिना गौर किये व अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने के लिए बिना कोई उचित अवसर दिये मनमानी पूर्वक आदेश दिनांक 08.01.2024 पारित कर अपीलार्थीगण को सम्पत्ति से बेघर करने का निर्देश पारित कर दिया । यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अधिकरण द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि वर्तमान मामला पारिवारिक झगड़े का है और नियमों के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व अधिकरण द्वारा मामले को पक्षों के बीच सुलह करवाने के लिए सुलह अधिकारी के समक्ष भेजना चाहिये था, परन्तु पत्रावली पर उपस्थित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकरण द्वारा ना तो पक्षों के बीच कोई सुलह करवाने का कोई प्रयास किया गया और ना ही अधिकरण द्वारा मामले को सुलह अधिकारी के समक्ष रेफर करने का कोई प्रयास किया गया । जिससे अधिकरण का अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधिकरण द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि अपीलार्थीगण दो छोटी बच्चियों के माता पिता है जिसमें से उनकी छोटी बेटी महज 8 महीने की है और अपीलार्थीगण की खराब आर्थिक स्थति को देखते हुए यदि अपीलार्थीगण व उनके परिवार को उक्त सम्पत्ति से बेदखल किया जाता है तो अपीलार्थीगण अपने परिवार सहित कोई अन्य रहने की जगह न होने के कारण सड़क पर आ जाएगें जिससे अधिकरण का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त मकान में कुल तीन कमरे, एक हाल, एक बैठक का कमरा, दो बाथरूम व एक रसोई है जिसमें से अपीलार्थीगणा के कब्जे में केवल एक कमरा ही है, अन्य दो कमरे व एक बाथरूम अभी भी गैर अपीलार्थीगण के कब्जे में ही है व उनके द्वारा उक्त कमरों पर घर छोड़ने से पूर्व ताले लगाए जा चुके है, परन्तु अधिकरण ने बिना इस तथ्य पर गौर किये मनमानी पूर्वक आदेश दिनांक 8 जनवरी 2024 पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त रणधीर सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद एण्ड अदर्स MANU/UP1742/2019 की पंक्ति 24, 28 व 29 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। वर्तमान मामले के तथ्य कुछ इस प्रकार है कि गैर अपीलार्थीगण षडयंत्र पूर्वक मिथ्या कहानी रचने के उद्वेश्य से स्वयं अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ कर किराए के घर पर रह रहे है व कानून का दुरूपयोग कर अपीलार्थीगण को सम्पत्ति से बेघर करवाना चाहते है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार मॉ–बाप अधिकरण में केवल अपने बच्चों के विरूद्व ही प्रार्थना पत्र दायर कर सकते है। उक्त धाराओं के अनुसार अपीलार्थी संख्या 1 अधिनियम में दी हुई बच्चों व रिश्तेदारों की परिभाषा में नहीं आती है जिससे गैर अपीलार्थीगण का अपीलार्थी संख्या 1 के विरूद्व प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.01.2024 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावें ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5. गैर अपीलार्थीगण के प्रतिनिधि ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थीगण विवाह के बाद से ही प्रत्यर्थीगण को हैरान व परेशान करने लग गये, जिस कारण गैर अपीलार्थी संख्या 1 ने कई मर्तबा थाना करधनी में शिकायत की, किन्तु थाने के द्वारा समझाईश किये जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी संख्या 1 अत्यधिक क्रूर होती चली गई। अपीलार्थी संख्या 1 अपीलार्थी संख्या 2 को उकसाती है जिस पर अपीलार्थी संख्या 2 भी गैर अपीलार्थीगण के साथ गन्दा सलूक करता है। एक दिन तो अपीलार्थी संख्या 1 ने गैर अपीलार्थी संख्या 1 को मारने हेतु नकली सांप गैर अपीलार्थी संख्या 1 पर फैंक दिया। गैर अपीलार्थी संख्या 1 का हार्ट कमजोर है, साथ ही बी पी व अन्य बीमारियां है। दिनांक 18.06.2023 को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 ने आपस मे मिलीभगत कर गैर अपीलार्थीगण को प्रताड़ित करते हुये दिनांक 18.06.2023 को घर से निकाल दिया। मजबूरन गैर अपीलार्थीगण को किराये के मकान में निवास करना पड़ रहा है। इसलिए अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 4 व 5 माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण के विरूद्व अनुतोष चाहा था । जिस पर उभय पक्ष को सुन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैर अपीलार्थी संख्या एक के नाम अंकित प्लाट नम्बर 54 गणपति नगर नांगल जैसा बोहरा, निवारू रोड, जयपुर को अपीलार्थीगण द्वारा एक माह के अन्दर अपने खर्चे से खाली कर गैर अपीलार्थीगण को संभलाने, अपीलार्थी संख्या 2 को प्रतिमाह 5000/—रूपये बतौर भरण पोषण गैर अपीलार्थीगण के बैंक खाते में जमा कराने एवं भविष्य में गैर अपीलार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करने के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को गैर अपीलार्थीगण के भरण पोषण के लिए पुत्र अपीलार्थी संख्या 2 को 5000/—रूपये प्रत्यर्थीगण के बैंक खाता मे बतौर भरण पोषण जमा कराने के आदेश दिये गये है जो उचित प्रतीत होते है। विवादित सम्पत्ति गैर अपीलार्थी संख्या 1 हेमा गोदवानी के स्वामित्व की है। माता—पिता या वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) है जो इस प्रकार है—" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय—समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता—पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थीगण को गैर अपीलार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया जो उचित प्रतीत होता है। गैर अपीलार्थीगण (माता—पिता) से मारपीट व गाली गलौच नहीं किये जाने हेतु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को पाबन्द किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2024 की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है ।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner